न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 10/2016 दिनांक 13/08/2016

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– हरिहर सिंह पिता स्व0 विशेश्वर सिंह सा0 कोयंजाली।

बनाम

द्वितीय पक्ष– अवधेश सिंह,सुदामा सिंह, रामदेव सिंह पे0 हरिहर सिंह।

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी पालकोट के अप्रथमिकी सं0 02/2016 दिनांक 25/07/2016 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में **प्रथम पक्ष** (1) हरिहर सिंह उम्र 68 वर्ष पिता स्व0 विशेश्वर सिंह सा0 कोयंजाली पो0 पालकोट के भूमि को **द्वितीय पक्ष** (1) अवधेश सिंह उम्र 47 वर्ष (2) सुदामा सिंह उम्र 42 वर्ष (3) रामदेव सिंह उम्र 37 वर्ष सभी पे0 हरिहर सिंह सा0 कोयंजाली पालकोट सभी थाना पालकोट द्वारा प्रथम पक्ष के भूमि के खाता सं0 01, प्लॉट सं0 383, 386, 889, 789, 387, 388, 391, 392, 672, 679, 680, 681, 682, 315, रकबा0.17, 1.31 0.39 0.42 0.27 0.64 0.47 0.39 0.98 0.10 1.20 1.91 1.28 0.43 खाता सं0 02 प्लॉट सं0 225 314 340 390 336 345 395 396 394 रकबा 4.00 0.40 0.10 0.37 एवं खाता सं0 46 प्लॉट सं0 336 345 395 396 394 रकबा 2.11 2.54 4.54 0.16 1.47 डी0 भूमि पर जबरदस्ती खेती कर दिये है। पथम पक्ष के द्वारा मना करने पर माने एवं पिटने पर आ जाते है। जिससे प्रथम पक्ष डरे हुए है। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षों के द्वारा शांति भग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, कामडारा से विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया।।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष अपना पक्ष स्वयं रखते हुए लिखित एवं बहस जवाब दाखिल किया है कि खाता सं0 01, प्लॉट सं0 383, 386, 889, 789, 387, 388, 391, 392, 672, 679, 680, 681, 682, 315, रकबा0.17, 1.31 0.39 0.42 0.27 0.64 0.47 0.39 0.98 0.10 1.20 1.91 1.28 0.43 खाता सं0 02 प्लॉट सं0 225 314 340 390 336 345 395 396 394 रकबा 4.00 0.40 0.10 0.37 एवं खाता सं0 46 प्लॉट सं0 336 345 395 396 394 रकबा 2.11 2.54 4.54 0.16 1.47 डी0 भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वजों का खतियानी जमीन है। उक्त भूमि प्रथम पक्ष को बटवारा में वर्ष 1966 में प्राप्त हुआ है तब से प्रथम पक्ष हरिहर सिंह दखलकार रहकर सरकार को मालगूजारी अदा करते आ रहे है। प्रथम पक्ष श्री हरिहर सिंह द्वारा उक्त सभी जमीनों पर वर्षों मुकदमा लडकर अपने नाम से डिग्री व जजमेंट कराया है। मुकदमा सं0 टाईटल सं0 23/92 टाईटल अपील सं0 01/97 पुणरीक्षण वाद सं0 19/89 एम 358/2012 तथा अन्य और कई मुकदमा लड़कर प्रथम पक्ष उक्त सभी जमीनों को अपने पक्ष में कराया । इस दौरान हरिहर सिंह को काफी संघर्ष करना पड़ा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner

प्रथम पक्ष हरिहर सिंह काफी वृद्ध हो गये है ऐसे में इनको इनके बेटो व पत्नी के द्वारा घर से निकाल देना कोई खाना खुराकी नहीं देना मार पीट कराना एवं जमीन का सारा उपज ले लेना गैरकानूनी है आज की तिथि में हरिहर सिंह एक भिखारी की तरह इसका उसका घर भटक रहा है।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

(1) लगान रसीद की छाया प्रति।

(2) उक्त विवादित भूमि का दाखिल खारिज की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

अंचल अधिकारी, पालकोट से उक्त विवादित भूमि का जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

थाना पालकोट के द्वारा लिखित अप्राथमिकी प्रतिवेदन में द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य प्रथम पक्ष के तीनो पुत्र है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के सदस्यों को अमीन के माध्यम से आवदेन में बर्णित जमीन को बॉटकर तीनो पुत्रों को तथा कुछ जमीन को अपने भी लिए हुए है। प्रथम पक्ष के द्वारा दिये गये जमीन को द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष के पुत्र जमीन को जोतकोड़ कर खेती किए हुए है। प्रथम पक्ष के सदस्य अपने जमीन को बटांई दार से खेती कराते हे तथा अपने घर कोयंजाली में न रहकर अपने लड़की के घर ग्राम पोजेंगा मे रहते है। तथा अपनी पत्नी द्रोपती देवी का भी देखभाल नहीं करते है। द्रोपती देवी का देखरेख द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दोनों पक्ष के लोंग झगड़ालू किस्म के है तथा प्रथम पक्ष के आवेदक अब अपनी जमीन को अपने जीवित रहने तक अपना कब्जा में रखना चाहते है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यों से वापस लेना चाहते है जब कि प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त जमीन के द्वितीय पक्ष के सदस्यों को जोत कोड़ करने हेतु बटवारा कर दिया गया है। उलेखित है कि प्रथम पक्ष के सदस्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तथा अपने परिवार के सदस्यों से ईष्या है, तथा जमीन का जोत कोड़ करते हुए देखना नहीं चाहते है।

उभय पक्षों द्वारा दाखिल जवाब, कागजातो, बहस, एवं थाना प्रभारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौजा पालकोट के खाता सं0 01, प्लॉट सं0 383, 386, 889, 789, 387, 388, 391, 392, 672, 679, 680, 681, 682, 315, रकबा0.17, 1.31 0.39 0.42 0.27 0.64 0.47 0. 39 0.98 0.10 1.20 1.91 1.28 0.43 खाता सं0 02 प्लॉट सं0 225 314 340 390 336 345 395 396 394 रकबा 4.00 0.40 0.10 0.37 एवं खाता सं0 46 प्लॉट सं0 336 345 395 396 394 रकबा 2.11 2.54 4.54 0. 16 1.47 डी0 भूमि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के नाम से है एवं रसीद भी प्रथम पक्ष के नाम से कटता है। चूकि प्रथम पक्ष के सदस्य द्वितीय पक्ष के सदस्य के अपने पिता है। अपने पुत्रो को बटवारा कर जमीन दिये है जो उनका हक है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।

Scanned by CamScanner